

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश शासन,

सतपुडा भवन, भोपाल-462004

ई-मेल [affil-he@mp.gov.in](mailto:affil-he@mp.gov.in) दूरभाष क्रमांक- 2554763

"website"

क्रमांक- 2003 /466/आउशि/सम्बद्धता/20.  
प्रति,

भोपाल, दिनांक- 19 /11/2020.

कुल सचिव/प्राचार्य,  
संबंधित समस्त विश्वविद्यालय/शासकीय महाविद्यालय,  
(हेल्प सेंटर-एन.सी.टी.ई. के पाठ्यक्रमों में प्रवेश),  
मध्यप्रदेश

विषय:-सत्र 2020-21 के अन्तर्गत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एन.सी.टी.ई.) से विनियमित पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया।

—00—

सत्र 2020-21 के अन्तर्गत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एन.सी.टी.ई.) से विनियमित पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु निर्देशित किया जाता है कि:-

- (1) विश्वविद्यालयों द्वारा अंतिम वर्ष की परीक्षा के परिणाम जारी नहीं किये गये होने से विद्यार्थियों को मूल स्थानांतरण/माइग्रेशन प्रमाण पत्र प्रदान नहीं किये जा सके हैं। अतः यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे विद्यार्थियों से निर्धारित समय सीमा में प्रारूप 11 तथा 12 प्राप्त किया जाकर प्रवेश मान्य किया जायेगा। आवेदक विद्यार्थी द्वारा परीक्षा परिणाम जारी होने के पश्चात् मूल स्थानांतरण/माइग्रेशन प्रमाण पत्र उनके प्रवेशित महाविद्यालय में यथा समय प्रस्तुत किये जायेंगे तथा प्रवेशित महाविद्यालय द्वारा इसकी जानकारी इस कार्यालय को तथा संबंधित हेल्प सेंटर को दिया जाना सुनिश्चित किया जाये।
- (2) तृतीय अतिरिक्त चरण की प्रवेश प्रक्रिया के अन्तर्गत निर्धारित हेल्प सेंटर पर नवीन पंजीकृत आवेदकों के बी.पी.एड. एवं एम.पी.एड. हेतु फिटनेस, प्रोफिसिएन्सी टेस्ट दिनांक 22/11/2020 तक लिये जाये तथा टेस्ट में प्राप्त अंकों को पोर्टल पर अपलोड करने की कार्यवाही संबंधित हेल्प सेंटर द्वारा दिनांक 22/11/2020 तक अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाये।

"अपर-आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"

(डॉ. धीरेन्द्र शुक्ल)  
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी  
उच्च शिक्षा, म.प्र.

4733  
20/11/2020

DRAY/BRE  
Dr. Pir. / शिक्षा/महा.  
समस्त की ओर प्रकाशित

20/11/2020


8  
20/11/2020.

//2//

पृ. क्रमांक- 2004 /406/आउशि/सम्बद्धता/20,  
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक- 19 /11/2020.

1. निज सहायक, माननीय मंत्रीजी उच्च शिक्षा म.प्र.।
  2. स्टाफ आफीसर, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय मध्यप्रदेश।
  3. निज सहायक, आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश भोपाल।
  4. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश।
  5. कुलसचिव, समस्त पारम्परिक विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश।
  6. प्राचार्य, समस्त शासकीय अग्रणी महाविद्यालय, मध्यप्रदेश।
  7. प्राचार्य/संचालक, एन.सी.टीई. के पाठ्यक्रम संचालन करने वाली समस्त संस्थाएँ, मध्यप्रदेश।
  8. सी.ई.ओ. एम.पी.ऑनलाईन, द्वितीय तल डी.बी.मॉल एम.पी.नगर, भोपाल, म.प्र.।
  9. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, आई.टी. शाखा, उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन भोपाल, म.प्र. की वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु।
- .....की ओर सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु।

  
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी  
उच्च शिक्षा, म.प्र.